राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभिन्यता,भू जल विभाग, जोधपुर

क्रमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/225 जोधपुर, दिनांक:- 2/5/19

-:: परिपत्र ::-

विभाग के ध्यान में आया है कि कई राजसेवक शराब पीने के आदी है एवं ऐसे राजसेवक अपने परिजन अर्थात् पत्नी, अव्यस्क पुत्र/पुत्री एवं वृद्ध माता पिता के भरण पोषण हेतु अपने पारिवारिक दायित्वों का सम्पूर्ण निर्वहन नहीं करते है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवाऐ (आचरण) नियम-1971 के नियम-4 उपनियम-**vi** एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9(5)(89)कार्मिक/क-3/ 2000 दिनांक 23.04.2002 एवं क्रमांक प.9(5)(30)कार्मिक/क-3/जांच/2004 पार्ट- जयपुर दिनांक 20.09.2013 में निम्न प्रकार का प्रावधान है:-

"Any government servant who without sufficient and reasonable cause, neglects or refuses to maintain his/her spouse, parents, minor or disabled child who is unable to maintain himself/herself or, does not look after any of them in a responsible manner, shall be liable to disciplinary action."

इसी प्रकार नियम 26 के उपनियम (**d**) में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई राजसेवक मादक द्रव्य का अधिक उपयोग नहीं करेगा।

उक्त प्रावधान होते हुए भी कई राजसेवकों की आचरण के सम्बन्ध में परिजनों से अथवा अन्य किसी विश्वसनीय सूत्र से सूचना प्राप्त होती है कि उक्त राजसेवक शराब, नशीले पदार्थ या ड्रग्स लेने का आदी है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियमानुसार जांच के पश्चात् राजसेवक के उक्तानुसार दोषी पाये जाने पर उसके मासिक वेतन का **50%** पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु राजसेवक के परिजन (परिस्थिति अनुसार निर्धारण किया जायेगा) के बैंक खाते में सीधे ही स्थान्तरित कर दी जावे, शेष **50%** राशि नियमानुसार कार्मिक के खाते में जमा की जावेगी।

अतः सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाते है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर

कमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/225 जोधपुर, दिनांक:- 2/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित हैं:-

1. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,भू जल विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव भू जल विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. तकनिकी सहायक प्रथम/द्वितीय, कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी, भू जल विभाग, ... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों से उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
5. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (DSPC), भू जल विभाग, जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।
7. समस्त शाखा प्रभारी, (मुख्यालय)।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर